

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 158] No. 158] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 2018/ वैशाख 11, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 2018/VAISAKHA 11, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना नीति और कार्यक्रम अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2018

एफ. सं. 13/3/2017-इंफ्रा.—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची (अनुबंध-I) एतद्वारा अधिसूचित की जाती है। 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना में नई सूची में निम्नानुसार परिवर्तन किए गए हैं:

- "परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स" श्रेणी के अंतर्गत उप-श्रेणी, "स्टेशन और समीपवर्ती वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे ट्रैक, सुरंग, सेतु, पुल, टर्मिनल अवसंरचना" को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:
 - i. इलेक्ट्रिकल एवं सिगनल प्रणाली, सुरंग, सेत्, पुल सहित रेलवे ट्रैक
 - ii. कारखाने एवं संबद्ध रखरखाव की सुविधाओं के साथ रेलवे रोलिंग स्टाक
 - iii. स्टेशन एवं समीपवर्ती वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे टर्मिनल अवसंरचना

डॉ. कुमार वि. प्रताप, संयुक्त सचिव (आईपीएफ)

2451 GI/2018 (1)

अनुबंध-।

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र. सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन एवं	• सड़क और पुल
	लॉजिस्टिक्स 	• पत्तन¹
		● पोत कारखाना²
		 अन्तर्देशीय जलमार्ग
		• एयरपोर्ट
		 इलेक्ट्रिकल एवं सिगनल प्रणाली, सुरंग, पुल, सेतु सिहत रेलवे ट्रैक
		 कारखाने एवं संबद्ध रखरखाव की सुविधाओं के साथ रेलवे रोलिंग स्टाक
		 स्टेशन एवं समीपवर्ती वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे टर्मिनल अवसंरचना
		 शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक के सिवाय)
		● लॉजिस्टिक्स अवसंरचना³
2.	ऊर्जा	• विद्युत उत्पादन
		• विद्युत पारेषण
		• विद्युत वितरण
		• तेल पाईपलाइनें
		 तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा⁴
		● गैस पाईपलाइनें ⁵
3.	जल और स्वच्छता	 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
		 जल आपूर्ति पाईपलाइनें
		• जल शोधन संयंत्र
		• मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली
		• सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि)
		• स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली
		• पतले मसाले की पाइपलाइनें
4.	संचार	• दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क) ⁶
		• दूरसंचार टावर
	_	• दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	सामाजिक तथा	• शिक्षण संस्थाएं (कैपिटल स्टाक)
	वाणिज्यिक	• खेलकूद अवसंरचना ⁷
	अवसंरचना	• अस्पताल (कैपिटल स्टाक) ⁸
		• पर्यटक अवसंरचना अर्थात् (i) 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर
		अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल (ii) रोपवे एवं केबलकार
		तथा कृषि बाजार जैसी औद्योगिक गतिविधि सहित अन्य पार्कों हेतु साझी अवसंरचना
		 कृषि तथा बागवाना उत्पाद हतु शात भडारण साहत कटाइ उपरान्त भण्डारण अवसरचना टर्मिनल बाजार
		टामनल बाजारमृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं
		● मृदा-पराक्षण प्रयागशालाए ● प्रशीतन शृंखला ⁹
		• प्रशातन शृक्षणार • सस्ते आवास ¹⁰
		• तस्य जापास्

- वड़े तलकर्षण शामिल हैं।
- ² "पोत कारखाने" को तैरती हुई अथवा तटीय, घुमावदार बंदरगाह, लंगरगाह और डॉकिंग सुविधा, जलावतरण मंच और/ अथवा पोत उठाव की आवश्यक विशेषताओं वाले जल पर अथवा भूमि पर स्थित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो पोत निर्माण/मरम्मत/पोत तोड़ने के कार्यकलाप करने में सक्षम है।
- ³ "लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश तथा 10 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 20,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ शीत श्रृंखला सुविधा तथा/अथवा 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 1 लाख वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ भंडार गृह सुविधा सहित बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क सम्मिलित है।"

- 4 कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भण्डारण शामिल है।
- ⁵ शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।
- ⁶ आप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैण्ड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।
- खेलकूद और खेलकूद संबंधी कार्यकलाप में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए प्रशिक्षणशालाओं हेतु खेलकूद स्टेडियम और अवंसरचना का प्रावधान शामिल है।
- 8 चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।
- ⁹किष तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर की प्री-कुलिंग हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है।
- ¹⁰ "सस्ते आवास" को एक ऐसी आवासीय परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया जाता है जिसमें अधिकतम 60 वर्ग मीटर के कार्पेट क्षेत्रफल@ वाली आवासीय इकाई के लिए फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएसआर)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग किया गया है।
- ® "कार्पेट क्षेत्रफल" का तात्पर्य वही होगा जो स्थावर संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (ट) में दिया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INFRASTRUCTURE POLICY & PROGRAMME SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2018

- **F. No. 13/3/2017-INF.** With the approval of the Competent Authority, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporates the following change to the notification dated 14th November, 2017:
- 1. Under the category of "Transport & Logistics" the sub-category "Railway track, tunnels, viaducts, bridges, terminal infrastructure including stations and adjoining commercial infrastructure" is amended as:
 - i. Railway track including electrical & signalling system, tunnels, viaducts, bridges
 - ii. Railway rolling stock along with workshop and associated maintenance facilities
 - iii. Railway terminal infrastructure including stations and adjoining commercial infrastructure

Dr. KUMAR V. PRATAP, Jt. Secy. (IPF)

Annexure-I

Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors

Sl.No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport and Logistics	 Roads and bridges Ports¹ Shipyards² Inland Waterways Airport Railway track including electrical & signalling system, tunnels, viaducts, bridges Railway rolling stock along with workshop and associated maintenance facilities Railway terminal infrastructure including stations and adjoining com-
		 mercial infrastructure Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport) Logistics Infrastructure³

2.	Energy	Electricity Generation
		Electricity Transmission
		Electricity Distribution
		Oil pipelines
		 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility⁴
		• Gas pipelines ⁵
3.	Water and Sanitation	Solid Waste Management
		Water supply pipelines
		Water treatment plants
		 Sewage collection, treatment and disposal system
		 Irrigation (dams, channels, embankments, etc.)
		Storm Water Drainage System
		Slurry Pipelines
4.	Communication	 Telecommunication (fixed network)⁶
		Telecommunication towers
		Telecommunication & Telecom Services
5.	Social and Commercial Infrastructure	 Education Institutions (capital stock)
		 Sports Infrastructure⁷
		 Hospitals (capital stock)⁸
		 Tourism infrastructure viz. (i) three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million, (ii) ropeways and cable cars
		 Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with in- dustrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets
		 Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage
		Terminal markets
		Soil-testing laboratories
		• Cold Chain ⁹
		Affordable Housing ¹⁰

- Includes Capital Dredging
- "Shipyard" is defined as a floating or land-based facility with the essential features of waterfront, turning basin, berthing and docking facility, slipways and/or ship lifts, and which is self sufficient for carrying on shipbuilding/repair/breaking activities.
- "Logistics Infrastructure means and includes Multimodal Logistics Park comprising Inland Container Depot (ICD) with minimum investment of Rs 50 crore and minimum area of 10 acre, Cold Chain Facility with minimum investment of Rs 15 crore and minimum area of 20,000 sft, and/or Warehousing Facility with investment of minimum Rs 25 crore and minimum area of 1 lakh sq ft.
- ⁴ Includes strategic storage of crude oil.
- ⁵ Includes city gas distribution network.
- Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.
- Includes the provision of Sports Stadia and Infrastructure for Academies for Training/Research in Sports and Sports-related activities.
- ⁸ Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.
- Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.

[&]quot;Affordable Housing" is defined as a housing project using at least 50% of the Floor Area Ratio (FAR)/Floor Space Index (FSI) for dwelling units with carpet area[®] of not more than 60 square meters.

[®] "Carpet Area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.